न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला—गंगापुर सिटी

मु.नं. : 20/2023	तारीख रजू 14.12.2023	निर्णय दिनांक 29.02.2024

सरकार बनाम मुरारी लाल

—: निर्णय :—

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मुरारी लाल पुत्र गोपी लाल जाति मीना निवासी भौताई तह0 बामनवास ने ग्राम मिर्जापुर के खसरा नं. 168 रकबा 1200 वर्गमीटर, मंदिर माफी भूमि पर संवत् 2080 में अनाधिकृत रूप से पक्का मकान बनाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित जबाव इस आशय पेश किया कि प्रार्थी द्वारा मिर्जापुर स्थित खसरा नंबर 168 पर 30X40 वर्गमीटर, मकान हेतु उक्त भूमि अन्य लोगों की तरह क्रय करके, रहने की जगह नहीं होने के कारण उक्त भूमि पर मकान बना रखे है। वहाँ सम्पूर्ण भूमि पर अन्य लोगों ने भी मकान बना रखे है। प्रार्थी पढ़ा—लिखा नहीं होने के कारण नियमों से अनभिज्ञ होने कारण मकान बना लिया है अतः माफ करने व हिमायत प्रदान करने की कृपा करें। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

गैरसायल को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल द्वारा भी अपने जबाव में भूमि ख0नं0 168 पर 30X40 वर्गमीटर भूमि में मकान निर्माण करना अंकित किया है तथा उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा जिस भूमि पर अवैध अतिचार किया है वह मंदिर माफी की भूमि है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभयपक्षकारान को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 1/— की 50 गुना शास्ति 50/—रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जप्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से मॉंग कायमी करवाई जावे। साथ ही पटवारी हल्का गंगापुर सिटी को आदेशित कर निर्देश दिये जाते है कि ख0नं0 168 व आस—पास स्थित अन्य सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में जाँच कर, नियमानुसार कार्यवाही अमल में लावें। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29-02-2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर''घ'' के पेज संख्या ...3.....
पर रुपये 50/— की कायमी वर्ष
2023—24 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार